



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:— एफ2(3)लागत / 1037 / 153

दिनांक : 16/05/14

—: परिपत्र :—

मण्डल की समस्त योजनाओं हेतु वर्ष 2014–15 की भूमि एवं विकास दर निर्धारित कर, जुलाई 2014 से जून 2015 तक प्रभावी रखने के उद्देश्य से, मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, उप आवासन आयुक्त एवं समस्त खण्ड के आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.5.2014 तक समस्त आवासीय अभियन्ताओं द्वारा दर निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित दस्तावेजों को उचित माध्यम से निम्न सूचना के साथ लागत प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करावे:—

- 1— प्रथम बार भूमि एवं विकास दर निर्धारण हेतु भेजे गये भूमि भुगतान एवं विकास मद के अतिरिक्त यदि कोई व्यय किया गया है, उसका विवरण प्रेषित करावें।
- 2— योजना में वर्तमान में एवं भविष्य में यदि कोई व्यय करना अपेक्षित हो, तो उसका विवरण प्रेषित करावें।
- 3— पूर्व में प्रेषित विक्रय योग्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो, विवरण प्रेषित करावें।
- 4— बिन्दु संख्या 01 एवं 02 सूचनाओं के अतिरिक्त उक्त योजनाओं का अवशिष्ट विक्रय योग्य क्षेत्र यथा आवासीय, व्यावसायिक का विवरण भी प्रेषित करावे।


निम्न आवश्यक विवरण पत्र भी उपलब्ध करावें।:—

- (i) Statement of saleable area of scheme.
- (ii) Statement of expenditure incurred on land acquisition and development work each sect.
- (iii) Statement of already recovered cost.
- (iv) Cost of land development.
- (v) Land map.
- (vi) Statement of land analysis.

यदि सम्पादित व्ययों / वास्तविक व्ययों के आधार पर भूमि एवं विकास दर का निर्धारण नहीं कराना है तो भी सूचित करावें।


उक्तानुसार सूचनायें दिनांक 30.5.2014 तक लागत प्रकोष्ठ में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जावे ताकि प्राप्त दस्तावेजों को जांच करके दिनांक 25.6.2014 तक आगामी वर्ष की भूमि एवं विकास दर निर्धारित की जा सकें।

यथा समय कार्यवाही नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासक कार्यवाही की जावेगी।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1— निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2— मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3— अति.मु. अभियन्ता, रा.आ.म., जयपुर।
- 4— उप आवासन आयुक्त, वृत्त— रा.आ.म.,।
- 5— संयुक्त एनालिस्ट (निवेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर।
- 6— आवासीय अभियन्ता, खण्ड— रा.आ.म.,।
- 7— सहायक लेखाधिकारी वृत्त— रा.आ.म.,।
- 8— सम्बन्धित पत्रावली।
- 9— रक्षित फाईल।


वित्तीय सलाहकार